24/3/23	प्रत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 12/5/23 को पेश हो।
12/5/23	प्रत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 06/06/23 को पेश हो।
06/06/23	पत्रावली पेश हुई। अ०भ० उपयदा उपज प्रा० पत्र पर उपनयुक्त की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/6/23 को पेश हो।
13/6/23	पत्रावली पेश हुई। अ०भ० उपयदा उपज प्रार्थना प्रार्थी [illegible] स्वीकार करमाया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध [illegible] बाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 129/0.36, 146/0.26, 178/0.55, 467/0.42, 469/0.02, 609/0.17, 610/0.11, 612/0.12, 619/0.14, 621/0.50, 624/0.31, 637/0.51, 647/0.62, 648/0.37, 651/0.37, 654/0.54, 746/0.30, 747/0.40, 45/0.99, 631/0.30 हे० बाके ग्राम बरौधा तहसील कामां के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। प्रार्थी किसान कुमार [illegible] नम्बर से कम हो। बाद तकमील [illegible] के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस)

वाद कमांकः— 97 / 2022

1. विमलेश पुत्री साहब सिंह जाति गूजर निवासी वरिघा तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0 हाल पत्नी धर्मेन्द्र सिंह जाति गूजर निवासी नगला छीतर तहसील खेरगढ जिला आगरा
2. आरती पुत्री साहब सिंह जाति गूजर निवासी वरिघा तहसील रूपवास हाल पत्नी सन्तोष कुमार जाति गूजर निवासी हेलक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राज0

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. साहब सिंह पुत्र हरिकिशन जाति गूजर निवासी वरिघा तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0

..................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थितिः—
1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट
2. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

दिनांकः— 13.06.2023

निर्णय

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 129 / 0.36, 146 / 0.26, 178 / 0.55,467 / 0.42, 469 / 0.02, 609 / 0.17, 610 / 0.11, 612 / 0.12, 619 / 0.14, 621 / 0.50, 624 / 0.31, 637 / 0.51, 647 / 0.62, 648 / 0.37, 651 / 0.37, 654 / 0.54, 746 / 0.30, 747 / 0.40, 45 / 0.99, 631 / 0.30 है0 बाके ग्राम वरिघा तहसील रूपवास में स्थित है। हम प्रार्थीगण के बाबा मृतक हरिकिशन की छोडी हुई आराजी है जिसका पटवार कागजात जमाबन्दी में खिलाफ मौका एवं कानून के न्यारानूर इन्द्राज अमल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हो रहा है। चुकिं उक्त आराजी पैत्रिक है जिसके हम प्रार्थीनी को जन्म लेते ही बाई बर्थ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तथा हम प्रार्थीगण कभी भी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाई आपरेशन आफ लॉ करा पाने की अधिकारी है।

उक्त आराजी का मौके पर हम प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य मनवट के आधार पर विभाजन हो रहा है तथा हम प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज हो शान्तिपूर्वक कास्त करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खिलाफ मौका एवं कानून के इन्द्राज न्यारानूर अप्रार्थी संख्या एक के नाम हो रहा है तथा उक्त आराजी का इन्द्राज को देखकर अप्रार्थी संख्या एक के मन में बदनियति आ रही है। यह कि

मूल से मिलान किया
हस्ता. लिपिक

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner